राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना की जारी

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के रूप में अब सरपंचों को 5 हज़ार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में सरपंचों और पंचों को क्रमशः 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।
- सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने 'हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995' में संशोधन किया है।
- ये नियम अब 'हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम-2023' कहे जाएंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-govt-s-notification-to-increase-the-honorarium-of-sarpanchs-panches